जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
131/16
A3
1
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील सूचना अधि. सं0 131/2016 अनवानी चंचल पारीक पुत्री स्व0 श्री चांद रतन जोशी निवासी सोनगिरी कुंआ के पास, बीकानेर बनाम तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरनपुर

20.09.2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थीया चंचल पारीक उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरनपुर के प्रतिनिधि श्री राधाकृष्ण लिपिक उपस्थित है श्री राधाकृष्ण द्वारा तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरनपुर का प्रतिवेदन सं0 841 दिनांक 16.09.16 प्रस्तुत किया। दोनो पक्षो को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थीया का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरनपुर से प्रा0 पत्र दिनांक 20.04.2016 द्वारा उसके पिता स्वर्गीय श्री चांदरतन जोशी के सर्विस रिकार्ड की प्रमाणित प्रतियां चाही गई थी जो उसे उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे निशुल्क उपलब्ध करवाई जावे।

इसके विपरीत तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरनपुर के प्रतिनिधि का कथन है कि अपीलार्थीया द्वारा चाही गई सूचना वर्ष 1975 की है जो 20 वर्ष से अधिक पुरानी है जिसकी काफी तलाश करने पर भी उपलब्ध नही हुआ है इस संबंध में अपीलार्थीया को पत्र सं0 194 दिनांक 19.05.2016 द्वारा समय अवधि में सूचित कर दिया गया था। अपीलार्थीया द्वारा उसके पिता के पेन्शन संबंधी रिकार्ड स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, बन्नानी निवास के पास जस्सूसर गेट शाखा, बीकानेर में होना बताया है। अतः वहां से रिकार्ड प्राप्त कर प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करवाई जा सकती है।

मैने पक्षकारान के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थीया चंचल पारीक ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 20.04.2016 के द्वारा तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरनपुर से निम्न सूचना चाही थीः–

> सन 1975 में श्री चांदरतन जोशी पुत्र स्0 आशाराम जोशी जो आपके कार्यालय में यू.डी.सी. के पद पर रहते स्वर्गवास हो गये। स्वं0 चांदरतन जोशी के राज्य सेवा से सम्बन्धित समस्त रिकार्ड की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने बाबत।

उक्त सूचनांओ के संबंध में तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरनपुर ने अपना प्रतिवेदन सं0 823 दिनांक 21.09.2016 प्रस्तुत किया है कि चंचल पारीक द्वारा चाही गई सूचना पत्र सं0 194 दिनांक 19.05.2016 से भिजवाई गई थी जिसकी प्रति साथ में प्रेषित है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरनपुर ने पत्र सं0 194 दिनांक 19.05.2016 द्वारा अपीलार्थीया को निम्नानुसार सूचना भिजवाई गई हैः–

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा श्री चांद रतन जोशी पुत्र श्री आशाराम जोशी के तहसील कार्यालय में 1975 में कार्यरत के सम्बन्ध में राज्य सेवा से सम्बन्धित समस्त रिकार्ड की प्रमाणित प्रतियां चाही है। इस सम्बन्ध में सूचित हो कि रिकार्ड 20 वर्ष से अधिक पुराना है। सूचना के अधिकार में 20 वर्ष से अधिक पुराने रिकार्ड की सूचना देय नही है। सूचनार्थ प्रेषित है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरनपुर ने पुनः प्रतिवेदन सं0 841 दिनांक 16.09.2016 निम्नानुसार प्रस्तुत किया हैः–

> उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आप द्वारा श्री चांद रतन जोशी पुत्र श्री आशाराम जोशी के तहसील कार्यालय में 1975 में कार्यरत के सम्बन्ध में राज्य सेवा से सम्बन्धित समस्त रिकार्ड चाहा गया है। रिकार्ड की तलाश की गई परन्तु आज दिनांक तक रिकार्ड उपलब्ध नही हुआ है क्योंकि रिकार्ड अधिक पुराना है जिसकी तलाश की जा रही है। रिपोर्ट श्रीमानजी की सेवा में सादर प्रस्तुत है। शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे बीकानेर जस्सु गेट शाखा में उपलब्ध है इस संबंध में आदेश फरमाये जावे तो वहां से उपलब्ध करवा दिया जावे।

चूंकि तहसीलदार (राजस्व) करनपुर के उक्त प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थीया द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित रिकार्ड 1975 का काफी पुराना है जिसकी तलाश करने पर उपलब्ध नही हुआ है बल्कि शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे, बीकानेर जस्सू गेट शाखा में उपलब्ध होना बताया है और वहां से रिकार्ड प्राप्त करने के आदेश चाहे है।

अतः अपीलार्थीया की अपील स्वीकार की जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम की भावना को देखते हुए तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरनपुर को आदेश दिया जाता है कि शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, बिन्नानी निवास के पास, जस्सूसर गेट शाखा से अपीलार्थीया द्वारा वांछित सूचना श्री चांदरतन जोशी के पेन्शन से संबंधी रिकार्ड प्राप्त कर उपलब्ध रिकार्ड में से अपीलार्थीया द्वारा चाही गई सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरनपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थीया को भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 20.09.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर